

न्यायालय तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी :::: चन्द्रशेखर (तहसीलदार)

मिसल नं. :::: 67 / 2024

सरकार बनाम सरदारसिंह पुत्र खुशीराम जाति जाट, निवासी—  
आसलवास हाल निवासी— चिड़ावा बाईपास कार्तिक होटल के  
पास चिड़ावा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 20.09.2024

### निर्णय


पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सरदार सिंह पुत्र खुशीराम जाति जाट, निवासी आसलवास हाल निवासी चिड़ावा बाईपास कार्तिक होटल के पास चिड़ावा, द्वारा रोही मौजा आसलवास की भूमि ख.नं. 358 कुल रकबा 0.54 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.06 है० भूमि पर बाजरा एवं कपास काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें अपना अतिक्रमण अस्वीकार किया तथा अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 18 रु. कायम किया जाता है। राजकिय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फौसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 06 का  
वर्ष 2024-25 में रुपये 181 कायम किए  
राजस्व लेखाकार

  
(चन्द्रशेखर)  
तहसीलदार, सूरजगढ़